रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2018/माघ 11, 1939
No. 56] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2018/MAGHA 11, 1939

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 101(अ).—केन्द्र सरकार दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उप-धारा (1) के साथ पठित उस धारा की उप-धारा (2) के खंड (ड.), (छ) और (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा दिल्ली विकास (मुख्य योजना और क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है:—

1. (1) इन नियमों को दिल्ली विकास (मुख्य योजना और क्षेत्रीय विकास योजना) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिल्ली विकास (मुख्य योजना और क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 में,-

   (i) नियम 5 में, खंड, (ख) में निम्नलिखित परन्तुक अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

   "बशर्ते कि जहां केन्द्र सरकार सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे अथवा सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाली संभावित तात्कालिकता के मामले में, यह अपेक्षित है कि ऐसे सुझावों और आपत्तियों को नोटिस की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाए।"

   (ii) नियम 7 में, "नोटिस की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि" शब्दों के बाद "अथवा नियम 5 के खण्ड (ख) के परन्तुक में उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन 3 दिन की अवधि के भीतर" शब्दों को अंतर्विष्ट किया जाएगा।

[फा. सं. के-11011/5/2013-डीडी-II]

अनिल कुमार, अवर सचिव

नोट : मूल नियम दिनांक 05 दिसम्बर, 1959 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1348 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा दिनांक 15 अप्रैल, 2013 की सं. सा.का.नि. 241(अ) के तहत अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2018

G.S.R. 101(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (e), (g) and (r) of sub-section (2) of section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Amendment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959,—

   (i) In rule 5, in clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:—

   "Provided that where the Central Government considers it expedient so to do for the purpose of maintenance of public order or in case of any exigency likely to affect the interest of the public, it may require such suggestions and objections to be filed within a period of three days from the date of the notice." ;

   (ii) In rule 7, after the words "a period of forty-five days from the date of the notice", the words "or within a period of three days under the circumstances mentioned in the proviso to clause (b) of rule 5," shall be inserted.

[F. No. K-11011/5/2013-DD-II]

ANIL KUMAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 1348, dated the 5th December, 1959 and last amended *vide* number G.S.R. 241(E), dated 15th April, 2013.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.31 19:30:03 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.